हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(सामान्य सेवाएं–I)

दिनांक 10 दिसम्बर, 1999

संख्या सा0 का0 नि0 110/संवि/अनु0 309/99,—हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं) अधिसूचना संख्या 523–3 जी0एस070/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970, के खण्ड 6 के परन्तुक के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करते है कि राज्य सरकार के सभी विभागों में ऐसे रिक्त पदों को जो राज्य में चुंगी की समाप्ति के कारण, नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर समितियों के अधिशिष्ट कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए आमेलित किये जाने वाले यथाअपेक्षित है, के सबंन्ध में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

राम एस0 वर्मा,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(GENERAL SERVICES)

Notification

The 10th December, 1999

No. G.S.R. 110/Const./Art.309/99—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf read with the proviso to ciouse 6 of Haryana Government, General Administration Department (General Services), notification No. 523-3GS-10/2068, dated the 28th January, 1970, the Governor of Haryana hereby specifies that it shall not be necessary to consult the Commission in respect of such existing vacant posts in all Departments of the State Government as are required to be absorbed to adjust the employees of Municipal Corporations, Municipal Councils and Municipal Committees rendered surplus due to abolition of the Octroi in State.

RAM S. VARMA,

Chief Secretary to Government, Haryana.